

प्रारूप-18

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में धूनाघाट-बसौट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/- सहायक अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रभागिस्त वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

वन विभागाधिकारी देवीधर
चम्पावत वन प्रभाग

उप प्रभागिस्त वनाधिकारी
लोहाघाट

19/5